राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 164/2020

नरेन्द्र मोहन माथुर —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा), बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, टोंक।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.01.2020
आदेश की दिनांक : 25.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 05.03.1976 (अनुलग्नक–2) द्वारा फील्ड मैन के पद पर हुई थी। अपीलार्थी की सेवाएं जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक द्वारा आदेश दिनांक 07.06.1979 (अनुलग्नक–3) द्वारा दिनांक 06.03.1976 से फील्ड मैन के पद पर नियमित कर दी गई। फील्ड मैन और प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान समान था, इसलिए प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 16.09.1989 (अनुलग्नक–1) द्वारा प्रयोगशाला सहायक और फील्ड मैन की संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की, लेकिन अपीलार्थी का नाम प्रयोगशाला सहायक की वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया गया और इसी तरह के फील्ड मैन श्री राम स्वरूप सांखला का नाम प्रयोगशाला सहायक की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 17ए पर शामिल किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायक की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल न करने के संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 12.08.1995 एवं 06.12.1999 को उचित चैनल के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 02 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और वही अभ्यावेदन प्रधानाध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, टोंक द्वारा अग्रेषित किए गए हैं। उपनिदेशक (पुरुष), कोटा को दिनांक 29.07.1989 (अनुलग्नक–4) द्वारा पत्र जारी किया था कि फील्ड मैन एवं प्रयोगशाला सहायक की समान वेतनमान होने के कारण उनकी वरिष्ठता सूची संयुक्त रूप से तैयार की जाए तथा दिनांक 29.07.1989 के पत्र की अनुपालना में श्री रामस्वरूप सांखला का नाम सम्मिलित किया गया था, परन्तु अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक

28.01.2006 को प्रयोगशाला सहायक की वरिष्ठता सूची में अपना नाम शामिल न करने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। उस रिट याचिका में नोटिस जारी किए गए और जवाब दाखिल किया गया (अनुलग्नक–5 एवं 6)। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय के बारे में आपत्ति उठाई गई थी। इन परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष जाने के लिए आवेदन किया गया था। अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को माननीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति देते हुए आदेश पारित किया गया। रिट वापस लेने और अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए आवेदन की प्रति अनुलग्नक–7 पर उपलब्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि वे अपीलार्थी का नाम दिनांक 07.01.1978 से प्रयोगशाला सहायक की वरिष्ठता सूची में शामिल करें एवं अपीलार्थी को अन्य समकक्ष पदस्थापित कार्मिकों के समान समस्त पारिणामिक परिलाभ प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायक एवं फील्ड मेन की जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 16.09.1989 में केवल उन्हीं फील्ड मैन के नाम वरिष्ठता सूची में दर्ज किये गये थे जिनके द्वारा निर्धारित समय में निर्धारित प्रपत्र में योग्यता संबंधी सूचना प्रस्तुत कर दी गई थी। अपीलार्थी द्वारा वर्णित कार्मिक श्री राम स्वरूप सांखला का नाम इसलिए सम्मिलित किया गया क्योंकि उनके द्वारा आवश्यक आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उनके प्रकरण में निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र दिनांक 25.08.1989 (अनुलग्नक आर–1) द्वारा नाम जोडे जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये थे तथा श्री रामस्वरूप सांखला का नाम प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 16.09.1989 को जारी की गई वरिष्ठता सूची में दर्ज किया गया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय/निर्धारित प्रारूप में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रदर्श किया गया है, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि अपीलार्थी द्वारा उक्त वरिष्ठता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अतः प्रस्तुत अपील केवल मात्र इसी आधार पर खारिज/अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा वर्णित दस्तावेज दिनांक 12.08.1995 एवं दिनांक 08.02.1999 माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है और वर्णित दस्तावेज प्रत्यर्थीगण

की जानकारी में भी नहीं है, ऐसी स्थिति में वर्णित दस्तावेज मान्य नहीं किये जा सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी ने जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग का कर्तव्य है कि प्रत्येक वर्ष एक अप्रेल को विभाग में कार्यरत कार्मिक की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करे। अपीलार्थी ने दिनांक 01.03.1995 (अनुलग्नक–10)का प्रधानाचार्य रा.मा. उ.वि. टोंक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बी.एड. की योग्यता दर्ज कराने की निवेदन किया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.1992 (अनुलग्नक–9) द्वारा बी.एड प्रशिक्षण की अनुमति प्राप्त की। इसके बावजूद अपीलार्थी को कनिष्ठ के समान पदोन्नति प्रदान नहीं की। अपीलार्थी का वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने हेतु पत्र दिनांक 01.11.1996 (अनुलग्कन–11) पत्र दिनांक 29.03.1996 (अनुलग्नक–14) द्वारा प्रधानाचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी टोंक को लिखा गया। परंतु अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में नहीं जोड़ा जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ का नाम वरिष्ठता सूची में नहीं जोड़ा जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ का नाम जोड़ा जाकर उसे समस्त परिलाभ दिए गये। अपीलार्थी भी समस्त परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो जो अपीलार्थी से कनिष्ठ को दिए गये है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में विभागीय वरिष्ठता सूची में नाम जोड़े जाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उस हेतु अपीलार्थी द्वारा समय–समय पर प्रत्यर्थी विभाग को निवेदन किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि अपीलार्थी ने इस हेतु निर्धारित पत्र में विभाग को आवेदन नहीं किया एवं अन्य समान पदस्थापित कार्मिक के आवेदन करने में उसका नाम वरिष्ठता सूची में जोड़ा गया। हम प्रत्यर्थी विभाग का कथन न्यायोचित नहीं मानते है। अपीलार्थी का नाम संबंधित सेवा की वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं करना नियम विरूद्ध है जबकि उसके द्वारा इस हेतु निरन्तर पत्राचार किया जाता रहा है।

अतः उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी का नाम फील्डमेन एवं प्रयोगशाला सहायक की समय–समय पर जारी संयुक्त वरिष्ठता सूची में सही स्थान पर जोड़ा जावे एवं उसकी वरिष्ठता के अनुरूप समस्त पारिणामिक सेवा परिलाभ नियमानुसार प्रदान किए जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य